# न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

## उनवान

1. श्रीमति सुनीता पत्नी अशोक
2. श्रीमति माया पत्नी श्री राधेश्याम

} जाति महाजन निवासी करौली तहसील करौली जिला करौली

– अपीलाण्टस

## बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली, लैण्डहोल्डर करौली
2. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, करौली –रेस्पोण्डेण्ट्स

**अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.11.2018 न्यायालय तहसीलदार करौली व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुनीता वगैरहा, मुकदमा नंबर–234 / 2018 अन्तर्गत धारा 90(ए)–91 भू राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय** **दिनांक–29.01.2019**

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि आदेश जैर अपील दिनांक 12.11.2018 तथ्यों एवं कानून के विरूद्ध है और मन्सूख होने योग्य है। अदालत मातहत ने प्रार्थीगण अपीलाण्ट्स को कोई नोटिस या सूचना कानूनी तौर पर मुकदमे के सम्बंध में नही दी जो नियमानुसार कानूनी रूप से आवश्यक थी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अदालत ने हम प्रार्थीगण अपीलाण्ट के बैक में बिना सुने, सुनवाई व बिना जवाब देही व सबूत पेश किये, यह निर्णय दिया गया हैं। फैसला करने से पहले अदालत मातहत ने कोई बयान साक्ष्य सबूत नहीं लिए ना ही जिरह का मौका दिया गया। आराजी खसरा नम्बर 5404 रकवा 17 विस्वा वाके कस्वा करौली में से खातेदार हरिया से प्लाट नम्बर 6ए साईज 55X50 वर्ग फीट का अपीलाण्ट द्वारा रजिस्टर्ड वयनामा खातेदार को कीमत अदा करके खरीदशुदा प्लाट पर कब्जा प्राप्त करके दिनांक 29.11.1996 को खरीद किया था जिसके रजिस्टर्ड वयनामा की छाया प्रति मय नक्शा अपील के साथ पेश की जा रही है। उक्त प्लॉट प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खरीद की थी जिसके कनवर्जन के लिये प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा नगरपरिषद करौली में दिनांक 10.12.2012 को पत्रावली अभियान के दिन जमा करायी थी लेकिन काफी बार निवेदन करने पर भी अभी तक नगरपरिषद द्वारा कोई कार्यवाही नही की। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी कनवर्जन नहीं करने बाबत शिकायत नंबर 08170522452273 दिनांक 30.08.2017 से निवेदन किया गया था फिर भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। ना ही किसी तरह का नोटिस या सूचना फीस जमा करवाने बाबत नगरपरिषद द्वारा दी गई। अदालत मातहत ने खसरा नंबर 5303 जो कि एन.एच. की चौडाई में खसरा नंबर 5303 रकवा 3 विस्वा समीहित है। प्रार्थीगण अपीलाण्ट द्वारा खसरा नंबर 5303 या इसका कोई भाग दबाया नही है ना ही हमारा खसरा नंबर 5303 से कोई सम्बन्ध है। खसरा नंबर 5303 एन.एच. का भाग होने की वजह में हम अपीलाण्ट को इस जमीन में आमदरफत करने का अधिकार है। हम अपीलाण्ट प्रार्थीगण खसरा नंबर 5404 के खरीदशुदा प्लॉट में भी हमारे द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। हमारे प्लॉट की सुविधा की दृष्टि से हम अपीलाण्ट ऊंची बाउण्डरी बना रहें थे। बाउण्डरी बनाने के लिये नियमानुसार कनवर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है कोई निर्माण कार्य रिहायशी या वाणिज्यिक हमारे द्वारा नहीं किया गया है। रेस्पोण्डेण्ट



जिला कलक्टर
करौली

उपनिदेशक द्वारा व पटवारी हल्का द्वारा हमें गलत तरीके से अतिक्रमी बताया गया है। हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा है। दिनांक 16.10.2018 को मौका पर्चा पर भी हम अपीलाण्ट की गलत उपस्थिति दर्ज की है। मौके देखने से पहले भी हम अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। अदालत मातहत ने कृषि भूमि की खुदाई होना गलत दर्ज किया है तथा खुदाई में जो राशि दर्ज की है वह भी हम अपीलाण्ट प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से दर्ज की गई है। हम प्रार्थीगण अपीलाण्ट औरत जात है। अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से प्लॉट खरीदा है और उसका उपयोग उपभोग करने से हमें वंचित नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण अपीलाण्ट को अदालत मातहत के समस्त कार्यवाही की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.12.2018 को कहने पर हुई तो तब नकल लेकर यह अपील इल्म से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये एवं ना ही अपना पक्ष इस न्यायालय में रखा गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन है कि आदेश जैर अपील दिनांक 12.11.2018 तथ्यों एवं कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलाण्ट्स को बिना नोटिस दिये, बिना सुने, निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आराजी खसरा नम्बर 5404 रकवा 17 विस्वा वाके कस्वा करौली में से खातेदार हरिया से प्लाट नम्बर 6ए साईज 55X50 वर्ग फीट का अपीलाण्ट द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.11.1996 को खरीद किया था जिसके कनवर्जन के लिये प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा नगरपरिषद करौली में दिनांक 10.12.2012 को पत्रावली अभियान के दिन जमा करायी थी लेकिन काफी बार निवेदन करने पर भी अभी तक नगरपरिषद द्वारा कोई कार्यवाही नही की ना ही किसी तरह का नोटिस या सूचना फीस जमा करवाने बाबत नगरपरिषद द्वारा दी गई। खसरा नंबर 5303 जो कि एन.एच. की चौडाई में खसरा नंबर 5303 रकवा 3 विस्वा समीहित है। प्रार्थीगण अपीलाण्ट द्वारा खसरा नंबर 5303 या इसका कोई भाग दबाया नही है ना ही हमारा खसरा नंबर 5303 से कोई सम्बन्ध है। खसरा नंबर 5303 एन.एच. का भाग होने की वजह में हम अपीलाण्ट को इस जमीन में आमदरफत करने का अधिकार है। हम अपीलाण्ट प्रार्थीगण खसरा नंबर 5404 के खरीदशुदा प्लॉट में भी हमारे द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। हमारे प्लॉट की सुविधा की दृष्टि से हम अपीलाण्ट ऊंची बाउण्डरी बना रहें थे। बाउण्डरी बनाने के लिये नियमानुसार कनवर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है कोई निर्माण कार्य रिहायशी या वाणिज्यिक हमारे द्वारा नहीं किया गया है। दिनांक 16.10.2018 को मौका पर्चा पर भी हम अपीलाण्ट की गलत उपस्थिति दर्ज की है। अदालत मातहत ने कृषि भूमि की खुदाई होना गलत दर्ज किया है तथा खुदाई में जो राशि दर्ज की है वह भी हम अपीलाण्ट प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से दर्ज की गई है। हम अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से प्लॉट खरीदा है और उसका उपयोग उपभोग करने से हमें वंचित नही किया जा सकता है। अंत में अपील अपीलाण्ट को स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि लगभग 30 वर्ष पूर्व राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को आवंटित भूमि खसरा नं. 5403 रकबा 0.03 विस्वा पर अतिक्रमण कर अपीलाण्टस द्वारा पीछे की ओर स्थित अपीलाण्टस की खातेदारी भूमि खसरा नं. 5404 के साथ बिना सम्परिवर्तन कराये ग्राउण्ड तल से लगभग 12 फीट नीचे मिट्टी की खुदाई कर आर.सी.सी. के 17 कॉलम की फाउण्डेशन एवं रेनफोर्समेण्ट का कार्य अनियमित रूप से किये जाने पर निर्माण कार्य को बंद करने एवं बंद रखने बाबत् दिनांक 16.10.2018 को पाबंद किया गया। दिनांक 26.10.2018 को पुनः पुष्टि सीमा की जांच की गई और अतिक्रमियों द्वारा पुनः 12.11.2018 को मौके पर काम चालू पाया गया जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इस प्रकार राजकीय भूमि खसरा नं. 5403 पर अतिक्रमण पाये जाने एवं बिना सम्परिवर्तन निर्माण कार्य किये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 16. 10.2018 को सीमाज्ञान एवं 26.10.2018 को पुनः पुष्टि सीमा की जांच की गई जिसमें अपीलाण्ट्स द्वारा खसरा नं. 5403 पर अतिक्रमण कर एवं उसके पीछे अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि ख.नं. 5404 पर बिना सम्परिवर्तन निर्माण कार्य किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही से हम सहमत हैं एवं अपील को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2018 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली